Spl. Sec.

O. S. D. (K)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0 –1 / श0स्था0नि0 / 14458/2128 दिनांकः– 12.12.2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, रोसड़ा के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 428/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

12/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना — पत्र पंजी — 16 DEC 2014 — संख्या 9581

नगर पंचायत, रोसड़ा
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–428/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2011–12 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, रोसड़ा के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं की नमूना जॉच महालेखाकार (लेखापरीक्षा), के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 03.06.2013 से 08.06.2013 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र.सं.	पद	नाम	अवधि
1	मुख्य पार्षद	श्रीमती रेणु देवी	01.04.11 से 31.03.13
2	उपमुख्य पार्षद	श्री संजीव कुमार प्रधान	01.04.11 से 15.05.12
		श्री सत्येन्द्र कुमार नायक	16.05.12 से 31.03.13
3	कार्यपालक पदाधिकारी	श्री हरिशंकर राम (भूमि उप समाहर्त्ता, रोसड़ा अनुमंडल)	01.04.11 से 31.03.13
4	नगर प्रबंधक	श्री विश्वनाथ कुमार	01.04.11 से 31.03.13

3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जॉच किए गए पंजियों एवं अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I 'क' में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था या अधूरा संधारित था, को परिशिष्ट–I 'ख' में दर्शाया गया है।

4. अधिदृश्य

कोषागार खाता

कोषागार खाता के रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 से 12–13 तक नगर पंचायत, रोसड़ा में वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	12321597.00	16401363.00
2	प्राप्ति	12896636.00	17349178.00
3	कुल प्राप्ति	25218233.00	33750541.00
4	व्यय	8816870.00	16061134.00
5	अन्तशेष	16401363.00	17689407.00

किन्तु कोषागार खाता के रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	17719822.00
overcasting in page 50 of cashbook in receipts (-)	30817.00
	17689005.00
under casting in expenditure in page 69 of cash book (+)	402.00
	17689407.00
posting of expenditure of jan 13 not done in final calculation (-)	402119.00
	17287288.00

अतः कोषागार खाता का अन्तशेष ₹17287288.00 होना चाहिए था। अतः अन्तर राशि ₹402119.00 (17689407 – 17287288) का कारण अगले अंकेक्षण में बतायें।

6 कोषागार पासबुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1 कोषागार पासबुक उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण रोकड़ बही के अन्तशेष का सत्यापन नहीं किया जा सका था।

2 कोषागार खाता का समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाये।

3 कोषागार पासबुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराने का कारण अगले अंकेक्षण में बतावें।

5. तेरहवॉ वित्त आयोग

सहायक रोकड़ बही के अनुसार तेरहवॉ वित्त आयोग मद में 2011–12 से 12–13 तक वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक अवशेष	1000000.00	2350396.00
2	प्राप्ति		
(i)	योजना से	3585760.00	2860000.00
(ii)	सूद से	--	--
3	कुल प्राप्ति (1+2)	4585760.00	5210396.00
4	व्यय	2235364.00	1613443.00
5	अन्तशेष (3–4)	2350396.00	3596953.00

13वें वित्त आयोग मद में नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार राशि का व्यय निम्नवत किया जाना था–

(i) कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

(ii) पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रख– रखाव सहित।

(iii) सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर, उपभोग किए बिजली के बिल का भुगतान।

(iv) रैन बसेरा/old age home निर्माण एवं रख रखाव।

वर्ष 2011–12 में व्यय राशि ₹2235364.00 का विश्लेषण निम्नानुसार था–

बिजली बिल	203247.00
कुड़ादान	1614200.00
वैट	217917.00
कम्प्यूटर कय अग्रिम	200000.00
	2235364.00

वर्ष 2012–13 में व्यय राशि ₹1613443.00 का विश्लेषण निम्नानुसार था–

सोलर लाइट	1000000.00
विद्युत विपत्र	613443.00
	1613443.00

वर्ष 2011–12 में ₹200000.00 राशि कम्प्यूटर कय हेतु अग्रिम के रूप में चेक सं. 1141605/दिनांक 27.03.12 से प्रदान की गई थी। किन्तु चेक सं. 004414 दिनांक 31.08.12 को राशि ₹200000.00 वर्ष 2012–13 वित्तीय वर्ष में वापस इस मद में कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(1) तेरहवीं वित्त मद की राशि का समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में उपलबध कराया जाये।

(2) वर्ष 2011–12 में कम्प्यूटर कय हेतु ₹200000.00 का विचलन किया गया था, इसके कारण को अगले लेखापरीक्षा में बताया जाये।

(3) उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायें।

(4) 13वें वित्त में योजना व्यय की गति धीमी होने का कारण अगले अंकेक्षण को बताया जाये।

11वॉ तथा 12वॉ वित्त मद

	2011-12	2012-13
11वॉ वित्त मद की अवशेष राशि	131654.00	131654.00
12वॉ वित्त मद की अवशेष	2508902.00	1549588.00
व्यय की गई राशि	959314.00	609495.00
अवशेष	1681242.00	1071747.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(1) वर्ष 2012–13 के अन्त में अवशेष राशि ₹1071747.00 था, जिसमें 11वॉ वित्त मद का ₹131654.00 राशि भी सम्मिलित था, को व्यय नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(2) उपर्युक्त मदों का समाधान विवरणी बनाकर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

6. निरस्त

7. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के सहायक रोकड़ बही के अनुसार इस मद का वर्ष 2011–12 से 12–13 तक का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक अवशेष	4799506.00	6731775.00
2	प्राप्ति		
(i)	अनुदान	2790096.00	130339.00
(ii)	ब्याज	207855.00	202546.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	7797457.00	7064660.00
4	व्यय	1065682.00	4404237.00
5	अन्तशेष (3–4)	6731775.00	2660423.00
6	अन्तशेष (31.03.13), भारतीय स्टेट बैंक ऑफ, रोसड़ा खाता सं. 30390699778		2817849.00
7	सहायक रोकड़ बही अन्तशेष(31.03.13) अभुगतानित चेक 36275, 105305		2660423.00
	(+)		141580.00
			2802003.00

अतः बैंक शेष तथा सहायक रोकड़ बही के मध्य अन्तर राशि ₹15846.00 (2817849–2802003)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1 बैंक शेष तथा सहायक रोकड़ बही शेष के मध्य अन्तर राशि ₹15846.00 का कारण अगले अंकेक्षण में बतलायें।

2 2011–12 तथा 12–13 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

8. अधिदृश्य

सहायक रोकड़ बही के अनुसार IDSMT, सम विकास योजना, SJSRY (शहरी गरीबी निवारण), SJSRY (प्रशिक्षण मद) एवं UIDSSMT का वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12–13 तक संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार है–

सहायक रोकड़ बही की आय– व्यय की दर्शाती विवरणी वर्ष 2011–12

क्र. सं.	मद	IDSMT	सम विकास योजना	SJSRY (शहरी गरीबी निवारण)	SJSRY (प्रशिक्षण मद)	UIDSSMT
1	प्रारंभिक अवशेष	1773105.00	1776994.00	261612.00	160405.00	--
2	प्राप्ति					
(i)	योजना में	---	---	---	---	---
(ii)	सूद से	128886.00	240918.00	18049.00	11067.00	---
(iii)	अन्य	---	---	---	---	---
3	कुल प्राप्ति (1+2)	1901991.00	2017912.00	279661.00	171472.00	---
4	व्यय					
(i)	स्थानान्तरण	---	--	---	---	---
(ii)	योजना	---	770184.00	---	---	---
(iii)	बैंक कटौती	---	---	---	---	---
5	कुल व्यय	--	770184.00	---	---	---
6	अन्तशेष	1901991.00	1247728.00	279661.00	171472.00	---

सहायक रोकड़ बही की आय– व्यय की दर्शाती विवरणी वर्ष 2012–13

क्र. सं.	UIDSSMT	IDSMT	सम विकास योजना	SJSRY(शहरी गरीबी निवारण)	SJSRY(प्रशिक्षण मद)	UIDSSMT
1	प्रारंभिक अवशेष	1901991.00	1247728.00	279661.00	171472.00	140790250.00
2	प्राप्ति					
(i)	योजना में	278273.00	---	---	---	13500.00
(ii)	सूद से	82833.00	90089.00	11328.00	6945.00	4204103.00
(iii)	अन्य	---	42153.00	---	---	---
3	कुल प्राप्ति (1+2)	2263097.00	1379970.00	290989.00	178417.00	145007853.00
4	व्यय					
(i)	स्थानान्तरण	---	--	---	---	140790250.00 (BUDCO)
(ii)	योजना	---	98821.00	---	---	---
(iii)	बैंक कटौती	---	---	50.00	50.00	---
5	कुल व्यय	--	98821.00	50.00	50.00	140790250.00
6	अन्तशेष	2263097.00	1281149.00	290939.00	178367.00	4217603.00
7	बैंक शेष / बैंक नाम	2263097.00 बैंक– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रोसड़ा खाता सं.– 1006703539	1281149.00 (समाधानित) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता– 2091510034	290939.00 (समाधानित) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता सं.– 2091464825	178367.00 (समाधारित) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाता सं.– 2091472235	13500.00 बैंक ऑफ इंडिया खाता सं.– 497421110000003 अन्तर (बैंक खाता एवं रोकड़ बही के बीच 4204103)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) उपरोक्त मद में सम विकास योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना (शहरी गरीबी विवरणी), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (प्रशिक्षण मद) IDSMT मद की राशि क्रमशः ₹1281149, ₹290939, ₹178367 एवं ₹2263097 मदों की राशि का व्यय नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

(ii) UIDSSMT में रोकड़ बही एवं बैंक खाता के बीच का अंतर ₹4204103 था। बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

9. अनुदान

नगर पंचायत, रोसड़ा के द्वारा संधारित किए गए अनुदान पंजी (व्यय विवरणी पंजी) के आधार पर उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 के अन्त तक विभिन्न मदों से प्राप्त अनुदानों के अवशेष की विवरणी निम्नानुसार थी–

क्र.सं.	मद	अवशेष राशि
1	13वॉ वित्त आयोग	3596953.00
2	11वॉ वित्त आयोग	131654.00
3	नागरिक सुविधा	3499903.00
4	12वीं वित्त आयोग	1071747.00
5	बी.आर.जी.एफ.	2660423.00
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	9367569.00
7	स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना	7465186.75
		27793435.75

(विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– II पर)

टिप्पणी–

(i) केवल 6 योजनाओं की राशि के व्यय हेतु अनुदान पंजी का संधारण किया गया था। कृपया सभी योजनाओं की अनुदान पंजी का संधारण किया जाय एवं संधारित अनुदान पंजी अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

(ii) राशि का अवरोधन

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों की कुल अवशेष राशि ₹7465186.75 की राशि वर्षों से अवरोधित/अवशेष है (अप्रैल 1998 से नवम्बर 2008 से लेकर 31.03.13 तक व्यय नहीं)

यह राशि के अवरोधन का मामला है। अतः राशि का नियमानुसार व्यय किया जाय अथवा अविलम्ब राशियों को संस्वीकृत अधिकारी/राज्य सरकार को वापस किया जाय।

10. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 73(2), 82, 83, 84 एवं 85 के अनुसार प्रत्येक आगामी वर्ष का अनुमानित आय– व्यय का बजट नगर पंचायत के बोर्ड से अनुमोदित कराकर वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना उपबंधित किया गया है।

नगर पंचायत के द्वारा वर्ष 2011–12 का बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नगर पंचायत के द्वारा वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत किया गया परन्तु वार्षिक लेखे (annual account) प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण प्राक्कलित आय– व्यय तथा वास्तविक आय– व्यय पर टिप्पणी नहीं की जा सकी। बजट दिनांक 07.04.12 को हस्ताक्षरित था। अतः यह विलम्ब से बनाया गया।

अतः बजट समय पर पारित कराकर, राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये तथा वर्षवार वार्षिक लेखें (वास्तविक आय– व्यय विवरणी) बनाया जाये।

11. भवन कर के मांग एवं वसूली पंजी

नगर पंचायत, रोसड़ा न0पं0 के मुख्य करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया था। अंकेक्षण के दौरान बार– बार कहने के बावजूद भी करों से संबंधित बकाया की सूची तथा न0पं0 क्षेत्र में निजी, आवासीय, व्यवसायिक एवं सरकारी भवनों पर वसूली एवं बकाया की स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

अतः उपरोक्त करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाए एवं वसूली तथा बकाया की स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

12. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर

निगम करों के साथ वसूल की जाने वाली उपकरें यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकरों से 10 प्रतिशत वसूली भार की कटौती कर शेष राशि राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है। पूर्व के वर्षों के साथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (2012–13) तक की शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस की विवरणी निम्नानुसार है–

वर्ष	शिक्षा सेस	स्वास्थ्य सेस	कुल	घाटाव (10% वसूली प्रभार)	शेष प्रेषित योग्य राशि
2006-07	683100.50	853940.40	1537040.90	153704.09	1383336.81
2007-08	710254.90	890176.75	1600431.65	160043.16	1440388.49
2008-09	654010.55	801674.55	1455685.10	145568.51	1310116.59
2009-10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	--	--
2010-11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	--	--	--
2011-12 (बजट से)	69335.00	85530.00	154865.00	15486.50	139378.50
2012-13 (बजट के आधार पर)	79053.00	97694.00	176747.00	17674.70	159072.30
				कुल प्रेषित योग्य राशि	4432292.69

इस प्रकार कुल राशि ₹44432292.69 का प्रेषण राज्य सरकार को प्रेषित कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

नोट– 2009–10, 2010–11 एवं 2012–13 में 01.01.13 से 31.03.13 तक वसूली गई शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस एवं उस राशि की कटौती कर शेष राज्य सरकार को प्रेषित कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाये।

13(i) विभिन्न मदों से वसूली गई राशि नगर पंचायत निधि कोष में जमा करने के संबंध में

नगर पंचायत, रोसड़ा में अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न मदों (मकान कर, जन्म मृत्यु निबंधन शुल्क, दुकान, गृह निर्माण अनुमति शुल्क इत्यादि) से वसूली गयी राशि वसूलीकर्त्ता द्वारा नगर पंचायत निधि कोष में जमा नहीं किया गया था।

वसूलीकर्त्ता द्वारा ₹139565.60 की वसूली की गई जो जिसमें से मात्र ₹13078 की राशि नगर पंचायत निधि कोष में जमा किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान आपत्ति के आधार पर वसूलीकर्त्ताओं ने ₹114079.20 की राशि रोकड़पाल के यहाँ अंकेक्षण के दौरान जमा किया एवं ₹12408.40 अभी भी वसूलीकर्त्ताओं के पास हीं है। ₹114079 को

बैंक में जमा को नहीं दिखाया गया। जमा के साक्ष्य के रूप में विविध रसीद की छायाप्रति दी गई। बैंक विवरणी/पासबुक में जमा को नहीं दिखाया गया, छयाप्रति दी गई।

इस प्रकार संवीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंकेक्षण के दौरान विविध रसीद द्वारा रोकड़पाल के पास जमा राशि ₹114079 को बैंक/नगर पंचायत निधि कोष में जमा किया गया या नहीं। अतः रोकड़पाल के यहॉ जमा की गई ₹114079.20 की राशि को नगर पंचायत निधि कोष/बैंक में जमा कर, जमा की विवरणी से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये साथ ही शेष बचे ₹12408.40 की राशि संबंधित वसूलीकर्त्ताओं से वसूलकर, नगर पंचायत निधि में जमा कर, जमा की विवरणी से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)

(ii) पूर्व की कंडिका सं. 18, कम जमा/नहीं जमा के अन्तर्गत कर संग्राहक, श्री रामनन्दन लाल के द्वारा 1494 (MR 1126 से 1134) 438 (1118 से 1125), 4060 (1838 से 1844) एवं श्री जयचन्द्र सिंह 257 (1335 से 1383) कुल ₹6249 (1494+438+4060+257) जमा नहीं किया गया।

इस प्रकार ₹6249 संबंधित जिम्मेवार संग्राहकों से वसूलकर पंचायत निधि में जमा कर, जमा की विवरणी को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

14. बस स्टैण्ड की विभागीय वसूली

बस स्टैण्ड की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बस स्टैण्ड निजि जमीन (मालिक– सुरेन्द्र कुमार पूर्वे) पर अवस्थित थी तथा बस पड़ाव की वसूली विभागीय नगर पंचायत, रोसड़ा द्वारा किया जा रहा था। इस कार्य हेतु अर्थात बस पड़ाव के देखभाल के लिए दो दैनिक मजदूरों को प्रतिनियुक्त किया गया था।

(1) दीपक मिश्र (2) सुरेन्द्र तिवारी

वर्ष 2011–12 से 12–13 तक बस स्टैण्ड से वसूलकर नगर पंचायत कोष में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नानुसार थी–

वर्ष 2011–12

दिनांक	MR No	राशि
08.06.11	625	43000.00
13.06.11	629	20000.00
24.06.11	641	37500.00
29.06.11	615	33000.00
21.07.11	669	10000.00
30.07.11	677	60000.00
18.08.11	698	80000.00
13.09.11	724	40000.00
21.10.11	750	40000.00
30.01.12	846	65000.00
21.02.12	860	60000.00
		488500.00

वर्ष 2012–13

दिनांक	MR No	राशि
19.04.12	1505	130000.00
19.04.12	1506	50000.00
30.05.12	937	50000.00
28.06.12	953	100000.00
30.07.12	209	50000.00
12.10.12	287	100000.00
30.11.12	1215	40000.00
31.12.12	1247	75000.00
		595000.00

कुल राशि	2011-12	488500.00
	2012-13	595000.00
		1083500.00
घटाव, जमीन किराया वर्ष 2011–12(–)		89298.00
घटाव, जमीन किराया वर्ष 2012–13(–)		89565.00
घटाव, दो दैनिक कर्मचारी का वेतन (–) @144x12x2(वर्ष 2011–12 से 12–13)		6912.00
		6912.00
		897725.00

अतः प्रतिवर्ष औसत वसूली ₹448862.50 की थी।

अंकेक्षण अभ्युक्ति

(1) संचिका के अवलोकन में बस स्टैण्ड से संबंधित रसीदों का विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(2) बस स्टैण्ड से संबंधित नगर पंचायत द्वारा रसीदों की छपाई नहीं की गयी थी, कारण अगले अंकेक्षण में बतावें।

(3) बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती नहीं की गई थी, कारण अगले अंकेक्षण में बतावें।

(4) औसतन ₹448862.50 की वसूली प्रतिवर्ष नगर कोष खाता में जमा की जा रही थी। यह राशि न्यून होती है। अतः वसूली राशि की बढोतरी हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

15. नक्शा पारित

श्री राकेश कुमार रंजन द्वारा नगर पंचायत, रोसड़ा में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 12–13 तक केवल चार नक्शा को पारित किया गया था अर्थात 2011–12 से 12–13 में केवल चार नया गृह निर्माण हुआ था या श्री राकेश कुमार रंजन के अनुपस्थिति की वजह से गृह नक्शा पारित नहीं हो पा रहा था। इसकी समीक्षा कर नगर पंचायत इसकी जानकारी अगले अंकेक्षण में दें।

16. सैरात एवं मुद्रांक/निबंधन शुल्क

नगर पंचायत, रोसड़ा के द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार सैरातों की विवरणी तथा अंकेक्षण वर्ष में उनकी बन्दोबस्ती की विवरणी निम्नानुसार है–

क्र.सं.	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती 11–12	बन्दोबस्ती 12–13	नाम 11–12	नाम 12–13
1	गोधरा की जमीन (खेती योग्य)	8003.00	9400.00	श्री हरिशचन्द्र झा	श्री अनन्त प्रधान
2	मिर्जापुर की जमीन	––	––	बन्दोबस्ती नहीं	
3	कस्तूरबा गांधी स्कूल के पास की जमीन WN-3	24000.00	27500.00		श्री सुरेश कु. यादव
4	सार्वजनिक शौचालय की भूमि	––	––		श्री दिनेश पूर्वे
5	ढाब स्थित खजूरबन्नी WN-12	2825.00	3100.00		श्री सुरेश पासवान
6	चितर पंजियार के पास WN-14	अनुलब्ध	1411.00		श्री दिनेश पूर्वे
7	सब्जी मंडी की भूमि (पुरानी अस्पताल के पास)	––	––	बन्दोबस्ती नहीं	
8	गुदरी बाजार स्टॉल	173474.00	260854.00		
9	नगर पंचायत स्थित व्यवसायिक कॉम्पलेक्स	72000.00	93600.00		
10	कल्धार (करघड़ा)	––	––	बन्दोबस्ती नहीं	
		280302.00	395865.00		

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) मिर्जापुर की जमीन, सार्वजनिक शौचालय की भूमि, सब्जी मंडी की भूमि तथा कल्धार (करघड़ा) की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

(ii) सैरात पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव/ दिनांक 14.08.02 एवं पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में की गयी किसी भी प्रकार की बन्दोबस्ती के एकरारनामों का निबंधन किया जाना है जिसके अन्तर्गत बन्दोबस्ती की राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क तथा 3 प्रतिशत निबंधन शुल्क के साथ निबंधन किया जाना है। अंकेक्षण वर्ष में ली जाने वाली मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क की विवरणी निम्नानुसार है–

वर्ष	कुल बन्दोबस्ती की राशि	3% मुद्रांक शुल्क	3% निबंधन शुल्क	कुल
2011–12	280302.00	8409.00	84096.00	16818.00
2012–13	395865.00	11876.00	11876.00	23752.00
				40570.00

अतः कुल राशि ₹40570 की वसूली कर राज्य सरकार के निबंधन विभाग के उचित शीर्ष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

(iv) वर्ष 11–12 में गुदरी बाजार के अन्तर्गत स्टॉल संख्या 4 एवं 9 के बन्दोबस्तदार की स्थिति अगले अंकेक्षण में स्पष्ट की जाये।

17. मोबाईल टावर शुल्क

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं. 3691 दिनांक 08.10.12 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय– समय पर संशोधित) की धारा 127 की उपधारा 1(ड़) तथा 419(1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, संचार टावर एवं संबंधित संरचना पर कर के संबंध में नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित टावर पर प्रतिटावर पंजीकरण शुल्क ₹30000 तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹8000 प्रतिटावर प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही साथ एक टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क (अतिरिक्त) लिया जाएगा।

टिप्पणी–

नगर पंचायत, रोसड़ा द्वारा उपलबध कराये गए नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों की सूची के अनुसार क्षेत्र के अनतर्गत 2012–13 के अन्त तक कुल 14 टावर थे, जिनपर कुल बकाया राशि ₹808000 (पंजीकरण शुल्क + नवीकरण शुल्क) (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– पर) था। इस बकाया राशि ₹808000 की वसूली के लिए नगर पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था।

इस बकाया राशि ₹808000 की वसूली जल्द से जल्द किया जाये तथा प्रतिफल से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

18. विविध रसीदबुक उपलब्ध नहीं कराया

नगर पंचायत, रोसड़ा में अंकेक्षण दल को अंकेक्षण अवधि के दौरान कुछ विविध रसीद बुकों को उपलब्ध नहीं कराया गया। वे विविध रसीद बुकों की विवरणी निम्नलिखित है–

क्र.सं.	विविध रसीद बुकों के रसीद सं.	किस व्यक्ति को निर्गत किया गया	स्थिति
1	1401–1500	श्री जयचन्द्र प्रसाद	उपयोग में
2	1801–1900	श्री रामनन्दन लाल	उपयोग में
3	1101–1200	अनुपलब्ध	स्पष्ट नहीं
4	1601–1700	अनुपलब्ध	स्पष्ट नहीं

उपरोक्त विविध रसीद बुकों की स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

19. सोलर हाई मास्ट लाईटिंग सिस्टम क्रय

नगर पंचायत, रोसड़ा द्वारा 13वॉ वित्त मद से सोलर हाई मास्ट लाईट क्रय करने का निविदा आमंत्रित किया गया था।

1	निविदा की तिथि	07.04.2012
2	निविदा खुलने की तिथि	12.04.2012
3	अग्रधन	20000.00
4	वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी	
(i)	मेसर्स वागेश्वरी इन्टरप्राइजेज, पटना	147610.00
(ii)	मेसर्स रीता इन्टरप्राइजेज	179500.00

वित्तीय वीड तकनीकी वीड में सफल निविदाताओं के समक्ष दिनांक 12.04.2012 को खोला गया था। जिसके आधार पर वित्तीय वीड की तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी थी। तुलनात्मक विवरणी में सबसे कम दर ₹147610.00 सभी कर समेत मेसर्स वागेश्वरी इन्टरप्राइजेज, पटना को वित्तीय वीड स्वीकृत की गई थी।

5	एकरारनामा	13.04.2012
6	कार्यादेश तिथि	13.04.2012
7	सोलर हाई मास्ट लाईट की सं.	23 अदद
8	आपूर्त्ति करने की अवधि	20 दिन

9 उपरोक्त निविदा के आधार पर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से अतिरिक्त सोलर हाई मास्ट लाईट खरीदने हेतु नगर पंचायत, रोसड़ा द्वारा निर्णय लिया गया था।

10 भुगतान की गई अग्रिम– ₹2000000.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1 संचिका के अवलोकन से यह जानकारी नहीं हो सका कि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सभी सोलर हाई मास्ट लाईटिंग सिस्टम का अधिष्ठापन किया जा चुका था, अंकेक्षण को इसके स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

2 गारण्टी अवधि, गारण्टी कार्ड एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संचिका में उपलब्ध नहीं थी। इसका कारण नहीं स्पष्ट किया गया।

3 तेरहवॉ वित्त मद में निर्गत निविदा को ही चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में ली गई योजना को आधार बनाकर आपूर्त्तिकर्त्ता का चयन किया गया था, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

4 सरकार के निर्देश के अनुसार सोलर लाईट से संबंधित परियोजना में ब्रेडा या बेलट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए था, किन्तु एकरारनामा में उक्त संस्था द्वारा निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया था।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों का स्पष्टीकरण दिए जाने तक सोलर हांई मास्ट लाइटिंग सिस्टम कय में भुगतान की गई राशि ₹2000000.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

20. विद्युत विलम्ब शुल्क

विद्युत विपत्र से संबंधित संचिका के अवलोकन के कम में पाया गया कि नगर पंचायत, रोसड़ा ने वर्ष 2011–12 से 12–13 अवधि तक विद्युत विपत्र का भुगतान निम्नानुसार किया था–

क्र.	विपत्र सं./दिनांक	मीटर सं.	विपत्र माह	विपत्र राशि	विलंब शुल्क	भुगतान की गई राशि	चेक सं./दिनांक
1	15156/R/C/sz/84/15 156/dt. nil	–	02/2013	248456	5761	248456	A 114680/21.03.13 vr 533/21.03.13
2	15183/R/csz/1209A/ 15183/dt. 15.03.13	–	02/2013	613443	32881	613443	A 114681/21.03.13 vr 597/30.03.13

कुल विलम्ब शुल्क	=5761 +32881 =₹38642
कुल भुगतान की गई राशि	=248456 +613443 =₹861899
कुल देय राशि	=861899 – 38642 =₹823257

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(1) विद्युत विपत्र राशि का भुगतान अद्यतन किया जाना चाहिए, जिससे कि विलंब शुल्क का अधिभार नगर पंचायत पर अधिरोपित नहीं हो, विद्युत विपत्र निर्धारित समयावधि में जमा में नहीं जमा करने का कारण स्पष्ट करें।

(2) विलंब शुल्क ₹38642.00 विद्युत उपभोग के कीमत का मांग नहीं है। अतः यह राशि सरकारी संस्था से वसूलनीय नहीं है। अतः विलंब शुल्क की राशि ₹38642.00 नगर पंचायत द्वारा विद्युत विभाग को भुगतान क्यों की गई थी, इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः ₹38642 विलंब शुल्क की वसूली इस हेतु जिम्मेवार व्यक्ति/संस्था से किया जाय।

21. विलंब शुल्क की कटौती नहीं, गुणवत्ता परीक्षण नहीं एवं योजनाओं की स्थिति

प्रस्तुत की गयी विवरणी के अनुसार

(1) नगर पंचायत, रोसड़ा के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में संवेदकों के द्वारा निर्धारित समय सीमा तक योजनाओं को पूर्ण नहीं किया गया। नागरिक सुविधा मद के योजनाओं की संचिकाओं के अवलोकन

से यह ज्ञात हुआ कि संवेदकों को विलम्ब शुल्क की कटौती किये बिना पूर्ण भुगतान कर दिया गया। यहाँ तक की सुरक्षित जमा (security deposit) की राशि भी वापस कर दी गयी। एकरारनामा एफ–2 के क्लाउज– 2 के अनुसार विलम्ब के कार्यान्वयन पर प्रतिदिन ½ प्रतिशत (अधिकतम 10% प्रा० राशि का) की कटौती करनी चाहिए थी। संवेदकों के द्वारा न ही समयसीमा बढाने की मांग की गयी न ही नगर पंचायत के द्वारा इस मद की राशि की कटोती की गयी। कनीय अभियन्ता से लेकर कार्यपालक अभियन्ता तक किसी ने भी इस संबंध में मन्तव्य नहीं दिया।

अतः विलम्ब शुल्क की कुल राशि ₹1320140 (विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट– IV पर) की कुल राशि संवेदकों/जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलकर, लेखापरीक्षा को विवरण से अवगत कराया जाये।

(2) योजनाओं की संचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता का परिक्षण नहीं किया गया। इसके कारण को स्पष्ट करें।

(3) योजनाओं की स्थिति–

क्र.सं.	मद	कुल	पूर्ण	अपूर्ण
1	13वॉ वित्त	2	2	–
2	विधायक मद	1	1	–
3	4th FC (state)	1	1	–
4	12th FC	4	2	2
5	BRGF	17	17	–
6	नागरिक सुविधा	8	7	1
		33	30	3

कृपया योजनाओं को पूर्णता प्रदान की जाये।

22. दैनिक मजदूरी भुगतान

नगर पंचायत, रोसड़ा के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय एवं उसपर भारित व्यय से संबंधित रोकड़ बही (लेखापाल रोकड़ बही) के अनुसार वर्ष 2011–12 से 12–13 में दैनिक कर्मियों को भुगतान की गई राशि निम्नानुसार थी–

वर्ष	भुगतान की राशि
2011–12	625500.00
2012–13	870609.00
कुल	1496109.00

(विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– V पर)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 4न.अ./1/99/1886 न.वि. वि. दिनांक 25.06.2001 के द्वारा तथा समय– समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के माध्यम से दैनिक पारिश्रमिक

पर नियुक्ति एवं भुगतान पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद नगर पंचायत द्वारा दैनिक कर्मियों/मजदूरों के भुगतान के लिए बड़ी राशि व्यय किया गया था।

यह व्यय ₹1496109.00 किन आदेशों के अनुसार की गई थी, इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए। तबतक ₹1496109 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

23. अग्रिम

नगर पंचायत, रोसड़ा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी अग्रिम पंजी में नगर पंचायत के अन्तर्गत कर्मचारियों को भुगतान की गई अग्रिम का विवरण वर्ष 2011–12 (31.03.12) तक ही दर्ज था। इस अग्रिम पंजी एवं पूर्व के अंकेक्षण रिपोर्ट में दिखाई गयी बकाया अग्रिम के आधार पर 31.03.2012 तक अग्रिम की कुल बकाया राशि ₹3587191.82 था। (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट पर) चूंकि 2012–13 में भुगतान की गई अग्रिम के लिए अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था, इसलिए लेखापाल रोकड़बही के आधार 2012–13 में दी गई कुल अग्रिम की राशि ₹2183093.00 था। (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VI पर)

इस प्रकार 2012–13 के अन्त तक नगर पंचायत द्वारा भुगतान की गई अग्रिम की विवरणी निम्नानुसार है–

क्र.सं.	**कब से कब तक**	**राशि**
1	पूर्व से 31.03.12 तक	3478865.82
2	01.04.12 से 31.03.13 तक	2183093.00
	31.03.13 तक भुगतान की गई कुल अग्रिम की राशि	5661958.82

अंकेक्षण टिप्पणी–

नगर पंचायत द्वारा इतनी बड़ी राशि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई है। इनमें से कुछ राशि तो काफी समय से अग्रिम के रूप में बकाया है। पिछले अंकेक्षण में वसूली के निर्देशों के बावजूद नगर पंचायत द्वारा बकाया अग्रिम की वसूली एवं सामंजन का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त बकाया अग्रिम की वसूली के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाये एवं उसका सामंजन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

24. लेखापरीक्षा परिणाम

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	114079.20
2.	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	2226009.40
3.	अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	3496109.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

25. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण आपत्ति पर समय– समय पर वार्त्ता की गयी थी।

26. सामान्य अभियुक्ति :–

लेखाओं/अभिलेखों के संधारण में अनियमितता की गयी, अनुदान पंजी, ऋण पंजी, विनियोग पंजी, जमा पंजी का संधारण नहीं किया गया, अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का लेखांकन नहीं किया गया, बड़ी राशियॉ अव्यवहृत रखी गयी, सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं की गयी। बस पड़ाव वसूली पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखा गया, ना ही उससे संबंधित लेखा का संधारण किया गया। संग्रह की राशि को जमा करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वसूल की गयी राशि को नहीं जमा/कम जमा पाया गया। प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता हर स्तर पर पायी गयी।

उपयुक्त पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे वित्तीय एवं उच्च्य अनियमितताओं की संभावनाओं को दूर किया जा सके।

–हस्ता0–
(आलोक कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–I
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/14458/2128 दिनांकः– 12.12.2014

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर

12/12/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–I
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

नगर पंचायत शेखपुरा 2011-12 से 2012-13

परिशिष्ट संख्या I(क)

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना जाँच की गयी अभिलेखों की सूची।

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

1. रोकड़पाल रोकड़बही
2. लेखापाल रोकड़बही
3. फार्म 'एन्च' रसीद बुक
4. विविध रसीद बुक
5. दैनिक वसूली पंजी
6. फार्म 'एन्च' तथा विविध रसीद बुक का भण्डार पंजी
7. प्रमाणक (भाउचर)
8. बैंक पास बुक (आंशिक)
9. सहायक रोकड़ बही
10. SJSRY प्रशिक्षण संबंधी संचिका
11. बजट
12. बंदोबस्ती संचिका
13. क्रय संचिका
14. योजना की संचिका

आलोक

नगर पंचायत रोसड़ा 2011-12 से 2012-13

परिशिष्ट संख्या I (ख)

लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूची।
(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित)

1. खतरनाक एंव व्यवसाय मांग एंव वसूली पंजी
2. भवन, दुकान, इत्यादि की मांग एंव वसूली पंजी
3. वार्षिक लेखा
4. सेवा पुस्तिका
5. सम्पदा बही
6. सरकारी भवन मांग एंव वसूली पंजी
7. भविष्य निधि लेखा
8. अग्रिम पंजी (आंशिक)
9. अनुदान पँजी
10. ऋण पंजी
11. ऋण एंव विनियोग पंजी
12. जिला योजना समिति द्वारा पारित योजनाओं की सूची
13. दुकानों से संबंधित एकरारनामा
14. वार्षिक कार्य योजना / उपयोगिता प्रमाण पत्र
15. पेंशन लेखा
16. कोषागार पासबुक
17. अन्य अभिलेख जो परिशिष्ट - I (क) में नहीं है।

आलोक